यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपनिबन्धक, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपनिबन्धक, काशीपुर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्री अजय कुमार मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री रवि भूषण, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.05.17 से 05.06.17 तक श्री अशोक कुमार, व0 लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-II

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री हिमांशु म ण सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.07.16 से 14.07.16 तक श्री राजकुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह .... से .... तक एवं व्यय हेतु माह 04/15 से 03/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/16 से 03/17 तक एवं व्यय हेतु माह .... से .... तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः - सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र, काशीपुर

   (ii) (अ) **राजस्व विवरण :**

विगत वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	3355.16
2015-16	4001.23
2016-17	3423.46

(ii)(ब) **बजट का विवरण:-**

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15								
2015-16								
2016-17								

(स) **केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:**

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

महानिरीक्षक निबंधन> जिला निबंधन> उप महानिरीक्षक निबंधक> सहायक निबंधक> मुख्य निबंधन ल पक> निबंधन ल पक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **विलेख पंजीयन, सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र काशीपुर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपनिबन्धक, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-** लेखापरीक्षा इकाई से सूचनाओ का संग्रह कया गया।

राजस्व: माह 03/17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: .... विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- **शून्य**

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1 स्टाम्प शुल्क से राजस्व क्षति ` 3.45 लाख

उत्तराखण्ड शासन की अ धसूचना संख्या 206/2015/XXVII(9)/यू0ओ0-066/स्टाम्प/2015 देहरादून दिनांक 29.10.2015 के अन्तर्गत अद्धम स्थापना हेतु राज्य सरकार /निजी आद्ध मयो द्वारा वक सत औदयो गक अस्थानों/क्षेत्रों तथा औद्यो गक अस्थानों / क्षेत्रों से बाहर भू0स्वा मयों से उनकी भू म लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर पट्टा वलेख/वक्रय वलेख से निबंधन मे प्रभार्य स्टाम्प शुल्क मे उत्तराखण्ड सुक्ष्म एवं मध्यम उद्योग निति 2015 मे व र्णत प्रावधान के अनुसार 50% की छूट प्रदान की गयी थी।

कार्यालय उपनिबंधक काशीपुर के 04/2016 से 03/2017 तक के अ भलेखो की नमूना लेखा परीक्षा की जांच मे पाया गया क बही संख्या-1 जिल्द संख्या -4914 क्रमांक सं0 10057 दिनांक 13.12.2016 पृष्ठ सं0 371 से 388 तक मे वक्रेता श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री सुखपाल संह निवासी 9/41 जज कालोनी वैशाली सं0 9 गजियाबाद ऊ0प0 क्रेता श्री मोहम्मद सुलमान पुत्र श्री मुनन हुसैन एवं श्रीमती आबिदा पत्नी श्री मोहम्मद सलमान निवासी मोहल्ला अवन्तिका नगर पोस्ट गजरौला, जिला अमरोहा ऊ0प0 के द्वारा मौजा महुआखेड़ गंज तहसील काशीपुर नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत स्थित है,औद्यो गक नीति मे भू म को क्रय करने पर 50% की छूट का प्रावधान कया गया था परन्तु उसमे कए गए निर्माण कार्यों पर स्टाम्प मे कोई छूट का प्रावधान नही कया गया जब क क्रेता के द्वारा क्रय की गयी भू म पर निर्माण कार्यो के मूल्यांकन पर 50% की छूट प्रदान की गयी थी जो नियमानुसार नही थी, जिनके ववरण निम्नवत है - कुल देय स्टाम्प शुल्क 518350(भू म पर 120000+टिनपोश निर्माण 386750+रंनिग वाऊड़ी वाल 5600) एवं दिया गया स्टाम्प शुल्क 322500/- कमी स्टाम्प शुल्क 195850/- (518350-322500) की पायी गयी है, इस प्रकार 195850/- की स्टाम्प शुल्क की कमी एवं जमा ति थ तक नियमानुसार ब्याज भी देय है।

2. बही सं0-1 जिल्द संख्या -4919 क्रमांक सं0 -10036 पृष्ठ सं0-352 से 370 तक दिनांक 13.12.2016 को वलेख मे वक्रेता श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री सुखपाल संह निवासी 9/41 जज कालोनी वैशाली सं0-9 गजियाबाद ऊ0प0 क्रेता श्री मोहम्मद सलमान पुत्र श्री मुनन हुसैन एवं श्रीमती आबिदा पत्नी मोहम्मद सलमान निवासी, मोहल्ला अवन्तिका नगर पोस्ट गजरौला, जिला अमरोहा ऊ0प0 के द्वारा मौजा महुआखेड़ गंज तहसील काशीपुर नगर पंचायत अन्तर्गत स्थित था,औद्यो गक नीति मे भू म को क्रय करने पर 50% की छूट का प्रावधान कया गया है परन्तु उक्त भू म पर निर्माण कार्यों पर मूल्यांकन पर स्टाम्प मे छूट का कोई प्रावधान नही कया गया था जब क क्रेता के द्वारा क्रय की गयी जमीन पर निर्माण कार्यों के मूल्यांकन पर 50% की छूट वलेख मे प्रदान की गयी थी जो नियमानुसार नही है जिनके ववरण निम्नवत है - कुल स्टाम्प शुल्क 521075(भू म पर 222425+टिनपोश निर्माण 292600+रंनिग वाऊड़ी वाल 6050) है एवं दिया गया स्टाम्प शुल्क 372000/- और स्टाम्प शुल्क की कमी 149075/- (521075-372000) पायी गयी है, जिस पर जमा ति थ तक नियमानुसार ब्याज भी देय है।

उक्त दोनों प्रकरण मे स्टाम्प कमी के संबंध मे अवगत कराये जाने पर वभागीय उत्तर मे प्रकरण पर वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है, पक्षकारो को पत्र संख्या 222/1/2016 दिनांक 14.12.2016 एवं 222/2/2016 दिनांक 14.12.2016 को पत्र प्रे षत कया गया है, वसूली की कार्यवाही पूर्ण होने पर सम्प्रेक्षा को सू चत कर दिया जायेगा। जिसकी सम्प्रेक्षा को प्रतीक्षा रहेगी।

अत: 344925/- की स्टाम्प कमी का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-**2** औद्यो गक भू म को कृ ष भू म के अन्तर्गत वर्गीकृत कये जाने के कारण स्टाम्प शुल्क की कमी   8.21 लाख

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम संहनगर के पत्रांक 939/जि0उ0के0 लैण्ड बैक/2016-17 दिनांक 21.07.2016 जो क औद्यो गक क्षेत्र की भू म से संबं धत है, के साथ संलग्न औद्यो गक भू म महुआखेड़ागंज के खसरों की सूची के अनुसार खसरा नं0 1126 ग्राम-महुआखेड़ा की भू म भारत सरकार के नोटि फकेशन नं0 50/2003 सेन्ट्रल एकसाईज मे प्रस्ता वत औद्यो गक क्षेत्र की भू म है।

उल्लि खत भू म की मा लयत जिला अ धकारी, ऊधम संह नगर द्वारा निर्गत दर सूची में उल्लि खत औद्यो गक दर महुआखेड़ागंज 3500 प्रति वर्गमीटर नि र्धरित की गयी थी।

साक्ष्य स्वरुप बही सं0-1 जिल्द सं0 4803 के पृष्ठ 275 से 286 तक क्रमांक 5724 पंजीयन ति थ 04 जुलाई, 2016 मे ग्राम- महुआखेड़ागंज के खसरा सं 1288 रकबा 1745.35 वर्ग मी0 पर 3500/- की दर (औद्यो गक) से मा लयत का आगणन कर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क की अदायगी की गयी।

कार्यालय उपनिबन्धक, काशीपुर की 04/2016 से 03/2017 तक के अ भलेखों की जांच के दौराने पाया गया क भारत सरकार द्वारा अ धसू चत औद्यो गक क्षेत्र की भू म को कृ ष क्षेत्र की भू म में वर्गीकृत कर कम स्टाम्प शुल्क अदा कया गया है, जिसका ववरण निम्नवत् है-

बही सं0-1 जिल्द सं0- 4854 के पृष्ठ 353 से 366 तक क्रमांक 7726 दिनांक 01 सतम्बर 2016 को पंजीकृत वलेख

सम्प त्त का ववरण-

1. मोहम्मद युनुस ID No-KRQ2503274

2. मोहम्मद यासीन ID NO-KRQ 3251972

3. मोहम्मद सुलेमान ID NO-KRQ 3974540

पुत्रगण स्व0 श्री युसुफ अली

4. श्रीमती हसीस पत्नी स्व0 श्री युसुफ अली निवासी वार्ड-2 अरहरपुर, महुआखेड़ागंज, काशीपुर, जिला- ऊधम संह नगर

क्रेता-

श्रीमती निर्मल पत्नी श्री राजकुमार पुत्र श्री फुलचन्द्र निवासी-मोहल्लागंज, रतन सनेमा रोड, काशीपुर, जिला ऊधम संह नगर

सम्प त्त स्थित-मौजा नगर पंचायत, महुआखेड़ागंज, तहसील -काशीपुर जिला- उधम संहनगर , खाता सं0 00096 खसरा नं0-1126 म0 रकबा 0.6170 है0 लगाई गई दर- कृ ष दर 94 लाख प्रति हे0

बैनामा की कीमत- 4800000/-

मा लयत- 5800000

अदा कया गया स्टाम्प शुल्क- 259000/-

निबंदन शुल्क- 25000/-

उल्लि खत भू म की मा लयत जिला अ धकारी, ऊधम संहनगर द्वारा निर्गत दर सूची मे उल्लि खत औद्यो गक दर महुआखेड़ागंज 3500 प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गयी थी, तद्नुसार उक्त भू म की मा लयत 21595000/- (0.6170हे0=6170 वर्ग0मी0 x 3500) पर 5% की दर से देय स्टाम्प शुल्क 1079750/- (21595000x5%) निर्धारित होनी थी। जब क स्टाम्प शुल्क 259000/- अदा कया गया है। इस प्रकार 820750/- (1079750- 259000) कम स्टाम्प शुल्क लया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क संबं धत भू म न राज्य सरकार द्वारा द्वारा और न ही प्राइवेट औद् गक क्षेत्र घो षत करा गया है एवं वक्रीत भू म कृ ष भू म है।

वभाग का उत्तर मान्य नही है क्यों क महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधम संहनगर के पत्रांक 939/जि0उ0 के लैण्ड बैक/2016-17 दिनांक 21.07.2016 क के द्वारा महुआखेड़ागंज खसरो की सूची के अनुसार खसरा नं0 1126 ग्राम-महुआखेड़ा की भू म भारत सरकार के नोटि फकेशन नं0 50/2003 सेन्ट्रल एकसाईज मे प्रस्ता वत औद्यो गक क्षेत्र की भू म है। साथ ही महुआखेड़ागंज की इसी भू म के खसरा नं- 1288 रकबा 1745.35 पर 3500 प्रति वर्गमीटर से मा लयत का आंकलन कर स्टाम्प शुल्क लया गया जो क उपनिबंधक, काशीपुर के बही सं0 1 जिल्द सं0-4803 पृष्ठ सं0-275 से 286 क्रमांक 5724 दिनांक 04 जुलाई, 2016 को पंजीकृत की गयी।

अत: औद्यो गक क्षेत्र की भू म को कृ ष क्षेत्र मे वर्गीकृत कये जाने से 820750/- कम स्टाम्प शुल्क लये जाने का प्रकरण उच्चा धकारियो के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
195/1991-92	1	-
219/1992-93	2	-
63/2004-05	1	1(a)
	-	1(b)
	-	1(c)
10/2009-10	1	-
16/2010-11	-	1
27/2012-13	-	1
08/2013-14	-	1

व्यय से संबन्धित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

उपनिबंधक की टिप्पणी के अनुसार अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को पत्र सं0- 211/I/50नि0/2016-17 दिनांक 18 नवम्बर, 2016 के माध्यम से प्रे षत की गई है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपनिबन्धक, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

   तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: ----शून्य-----

2. **सतत् अनियमितताएः** (राजस्व एवं व्यय से संबन्धित): ----शून्य-----

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**
(i)	श्री एम0एल0 संघल	उप निबंधक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपनिबन्धक, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र